बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015

अधिसूचना

संख्या–3/स्था० (नियमावली) –01/2015 – 287 (3)/रा०, दिनांक– 1/4/15

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**।–(1) यह नियमावली बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी;

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी;

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के नियम–2 (ज), 4, 8, 8 (क) (i), 8 (ख) (i), 9 एवं अनुसूची–1 (क) (1) एवं (2) में संशोधन**।–उक्त नियमावली के नियम–2 (ज),4, 8, 8 (क) (i), 8 (ख) (i), 9 एवं अनुसूची–1(क)(1) एवं (2) में प्रयुक्त पदनाम **"अंचल निरीक्षक"** को पदनाम "राजस्व अधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के नियम–2 के उप नियम (ठ) में संशोधन**।–उक्त नियमावली के नियम–2 के उप नियम–(ठ) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है–

"(ठ) **"आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग; तथा**

4. **बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के नियम–3 में संशोधन**।– बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के नियम–3 के उप नियम (ख) के बाद निम्नलिखित उप नियम (ग) जोड़ा जायेगा :–

"(ग) यह सेवा राजपत्रित सेवा होगी।"

5. **बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के नियम–8 में संशोधन**।– **बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के नियम–8 के शीर्षक को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–**

" 8. राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में नियुक्ति एवं प्रोन्नति।–"

6. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के नियम–8 का " (ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति " निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(ख) राजस्व कर्मचारी संवर्ग से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में प्रोन्नति।–"

(i) राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के 25 प्रतिशत पदों को राजस्व कर्मचारी संवर्ग से सिर्फ स्नातक या स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों से राज्य स्तर पर गठित उनकी वरीयता सूची से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा।

विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति हेतु राजस्व कर्मचारी के पद पर 10 वर्ष की सेवा, उनकी सेवा की सम्पुष्टि तथा विगत 5 वर्षों की चारित्रिक अभ्युक्तियाँ आवश्यक होगी।

(iii) राजस्व कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किये जाने वाले विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(iv) प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधानों को लागू किया जायेगा।

(v) राजस्व अधिकारी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु राजस्व कर्मचारी संवर्ग में राज्य स्तरीय वरीयता का अवधारण।–(क) राजस्व कर्मचारियों की ज़िलावार अलग–अलग वरीयता सूची होगी। ज़िलावार अंतिम वरीयता सूची से ज़िला में योगदान की तिथि के आधार पर एक राज्य स्तरीय वरीयता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

परन्तु, यदि किन्हीं की योगदान की तिथि समान हो तो जन्म तिथि के आधार पर एवं जन्म तिथि भी समान हो तो लॉटरी पद्धति से वरीयता सूची तैयार की जायेगी और जिनकी जन्म तिथि पहले की होगी वे बाद वाले से वरीय माने जायेंगे।

(ख) बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त राजस्व कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता सूची के अनुसार होगी।

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता उनके सेवा में योगदान की तिथि के अनुसार होगी और उस नियुक्ति वर्ष में समव्यवहार में वे वरीयता सूची में कनीय होंगे।

7. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के अध्याय–3 में नियम–15 का संशोधन।–बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के अध्याय–3 में नियम–15 में विद्यमान प्रावधान के उपरान्त विद्यमान परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगी :–

"परन्तु यदि नियम–3 (क) के अधीन सेवा में प्रवेश करने वाला कर्मी पूर्व में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो उसके लिए इस नियमावली के आलोक में दुबारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा परन्तु यदि ऐसा कर्मी इस सेवा में शामिल होने के पूर्व विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, तो ऐसे के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना प्रोन्नति की अनिवार्य शर्त्त होगी"।

8. **बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के अध्याय–3 में नियम–15 क का जोड़ा जाना।**–बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा–संशोधित) के अध्याय–3 के नियम–15 के बाद निम्नलिखित एक नया नियम–15 क जोड़ा जायेगा :–

"15 क प्रशिक्षण।–(i) बिहार राजस्व सेवा के मूल पद में नियुक्ति के बाद प्रवेशोपरान्त पाठ्यक्रम प्रशिक्षण (Induction Training) अनिवार्य होगा।

(ii) बिहार राजस्व सेवा के मूल ग्रेड के अतिरिक्त सभी ग्रेडों के पदाधिकारियों को समय–समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु पात्रता प्राप्त कर सकेंगे किन्तु ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने के फलस्वरूप प्रोन्नति बाधित नहीं मानी जाएगी।

9. **बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (यथा संशोधित) के नियम–18 का संशोधन।**–बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (यथा संशोधित) में नियम–18 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:–

" परंतु इस सेवा/संवर्ग के कार्यपालक दंडाधिकारियों, के पदों पर पदस्थापन/स्थानान्तरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा उक्त पदाधिकारियों की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त पदाधिकारियों की सेवा एवं संवर्ग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन ही रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग अपने स्तर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए कर्णांकित अनुमंडलों में कार्यपालक दंडाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/स्था0 (नियमावली) –01/2015 – 287 (3)/रा0, दिनांक– 1/4/15

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–4 को (दो सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 250 (दो सौ पचास) मुद्रित प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/स्था0 (नियमावली) –01/2015 – 287 (3)/रा0, दिनांक– 1/4/15

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी समाहर्त्ता/सभी विभागीय निदेशालय/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव